

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान की वर्ष 2016–17 की वार्षिक रिपोर्ट एवं परीक्षित वार्षिक लेखा प्रस्तुत करने में विलंब होने के कारणों को प्रदर्शित करने संबंधी 'विलंब विवरण'।

नीचे दिए गए कारणों से राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट एवं परीक्षित वार्षिक लेखा निर्धारित समय पर प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जो क्रमानुसार निम्नवत दिए गए हैं।

क्र.स.	घटनाक्रम	दिनांक
1.	संस्थान का वर्ष 2016–17 का वार्षिक लेखा स्थायी समिति की बैठक द्वारा अनुमोदित किया गया।	04.08.2017
2.	संस्थान ने डीजी : एसीई से संस्थान के वर्ष 2016–17 की वार्षिक रिपोर्ट की लेखा-परीक्षा हेतु अनुरोध किया।	28.08.2017
3.	डीजी : एसीई की टीम ने लेखा-परीक्षा कार्य संपन्न किया।	11.09.2017 से 20.09.2017
4.	वर्ष 2016–17 का वार्षिक लेखा का एस. ए. आर. लेखा-परीक्षा प्रमाण-पत्र प्राप्त किया।	14.12.2017
5.	वर्ष 2016–17 का वार्षिक लेखा का एस. ए. आर. लेखा-परीक्षा प्रमाण-पत्र को टिप्पणी हेतु मंत्रालय भेजा गया।	15.12.2017
6.	मंत्रालय से टिप्पणियां प्राप्त की गईं।	20.12.2017
7.	शासी निकाय के सदस्यों के अनुमोदन हेतु परिपत्रित करने से पूर्व शासी निकाय के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए मंत्रालय को एक आई. डी. नोट भेजा गया।	26.12.2017
8.	शासी निकाय के सदस्यों को परिपत्रित करने हेतु शासी निकाय के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त हुआ।	29.12.2017
9.	शासी निकाय के सदस्यों को उनके अनुमोदन हेतु संस्थान का वर्ष 2016–17 का वार्षिक रिपोर्ट एवं वार्षिक लेखा के संबंध में पत्र भेजा गया।	01.01.2018
10.	संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट एवं वार्षिक लेखा 2016–17 के लिए शासी निकाय के सदस्यों की सहमति प्राप्त हुई।	2/3.01.2018
11.	संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट एवं वार्षिक लेखा 2016–17 हेतु शासी निकाय के सदस्यों से प्राप्त सहमति सहित मंत्रालय को पत्र भेजा गया।	03.01.2018
12.	मंत्रालय ने शासी निकाय के अधिकारी सदस्यों के अनुमोदन को संचारित/अवगत किया।	18.01.2018
13.	संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा का लेखा-परीक्षा विवरण प्रस्तुत करने के लिए मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी गई।	23.01.2018